THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE COMMUNITY DEVLOPMENT COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): (a) The proposal with regard to revision of the provisions relating to ceiling on land holdings came up for consideration at the first meeting of the Consultative Committee on West Bengal Legislation held on June 10, 1970. In the light of the discussions, the proposal has been finalised in consultation with the Government of West Bengal, Planning Commission, Ministry of Home Affairs, Department of Social Welfare and the Ministry of Law. The proposal will be further considered at the second meeting of the Consultative Committee on West Bengal Legislation.

- (b) The main provisions of the proposed legislation are as follows:
 - (1) The level of ceiling has been reduced to six hectarès.
 - (2) The ceiling limit will be applicable to the aggregate area of land held by all the raiyats belonging to a family, the term 'family' being defined for the purpose to include husband, wife, minor sons and unmarried daughters.
 - (3) Allowance has been made for the size of the family including the adult son and widow of pre-deceased son who do not hold land as a raiyat subject to an overall ceiling limit of 10 hectares for the family as a whole.
 - (4) Exemption from ceiling to lands owned by corporation, institution or trust established exclusively for religious and charitable purpose has been withdrawn. The Government has, however, been empowered to permit such corporation, institution or trust to hold land in excess of the ceiling area in specified cases.
 - (5) The exemption to lands comprised in orchards has been withdrawn. The ceiling limit for raiyat who owns orchards would, however, be increased by 2 hectares or by such

- extent of area as is under orchards whichever is less. (The question of making additional allowance for tank fisheries and withdrawing outright exemption, will be taken up by suitable amendment in the West Bengal Non-Agricultural Tenancy Act, in due course).
- (6) Transfers made after 7th August, 1969, would be disregarded for determining the surplus land of the transferer. In case any transfer takes place after the commencement of the Act, it shall be for the State Government to recover the land in the first instance, from the transferer to the extent possible and, if necessary, from the transferee.
- (7) Compensation payable for the land vested in the State shall be determined and given in accordance with the principles laid down in the West Bengal Estates Acquisition Act, 1953.

Opportunity has also been taken to make some further amendments considered necessary in the West Bengal Land Reforms Act, 1955, with a view to strengthening the provisions with regard to share-croppers, enabling raiyats to obtain institutional credit by deposit of title deeds and further safeguarding the interests of raiyats belonging to the Scheduled Tribes.

बम्बई तथा कलकत्ता में राशन व्यवस्था समाप्त करना

1538. श्री महाराज सिंह भारती: नया खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि गेहूँ की कीमतें अपेक्षाकृत उन कोमतों से कम हैं जिन पर सरकार ने उत्तरी भारत के बाजारों में फसल आने के समय खरीद की बी और यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं:
 - (ख) क्या ज्वार, बाजरा तथा मक्का की

बढ़िया फसल होने के कारण ही गेहूँ की कीमतों में कमी हई है; और

(ग) इन परिस्थितियों में भी सरकार द्वारा बम्बई और कलकत्ता में राशन व्यवस्था समाप्त न करने के क्या कारण हैं?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंतालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिग्दे): (क) और (ख). देश के सभी भागों में उचित औसत किस्म की गेहूँ के मूल्य अधिप्राप्ति मूल्य से अधिक हैं तथापि, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ केन्द्रों पर मूल्य अधिप्राप्ति मूल्य से नीचे गिर गये हैं क्यों कि इन केन्द्रों पर इस समय जो गेहूँ बिक रहा है वह कीटाणुओं तथा वर्षा से क्षतिप्रस्त होने के कारण घटिया किस्म का है। 1970-71 के खरीफ के मोटे अनाजों की पैदावार की अच्छी सम्भावनाओं की दृष्टि में खपत वाले राज्यों में कम मांग भी गेहूँ के मूल्यों में सामान्य नरमी के लिए अंशत: उत्तर-दायी है।

(ग) बम्बई और कलकत्ता शहर बहुत ऊँची क्रय-शक्ति वाले क्षेत्र हैं और इन क्षेत्रों से सांविधिक राशन-व्यवस्था हटाने का कोई निर्णय बाजार उपलब्धता और सम्भरण तथा मूल्यों पर इस व्यवस्था के समाप्त करने के प्रभाव को ध्यान में रखकर करना होगा।

खली के निर्यात पर प्रतिबन्ध

- 1539. भी महाराज सिंह मारती : क्या खाद्य तथा कृषि यंत्री यह बताने की कृषा करेंगे कि :
- (क) क्या लाखों टन खली का नियति किया जा रहा है जब कि देश में 80 प्रतिशत पशुओं को सन्तुलित चारा तक नहीं मिलता है; और
- (ख) यदि हाँ, तो कृषि विभाग ने प्रोटीन के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्ना-साहेब शिन्दे): (क) देश के अधिकांश पशुओं को सन्तुलित चारा नहीं मिलता क्योंकि उनमें से बहुत से पशु अलाभकारी तथा अज्ञात नस्त के हैं और किसान इन पशुओं को खली/संतुलित चारा देना लाभप्रद नहीं समझते। इस प्रकार खली के वर्तमान नियांत का पशुओं के संतुलित चारे की उपलब्धि पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता।

(ख) इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कि पशु-चारे की उपलब्धि पर बुरा प्रभाव न पड़े, खली तथा अन्य अधिक प्रोटीन-बहुल चारे के पदार्थों की निर्यात सम्बन्धी नीति का समय समय पर पुनरीक्षण किया जाता है। इसके साथ ही हरे चारे, साइलो आदि के रूप में अच्छे चारे की सप्लाई के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं, जो खली की तुलना में प्रोटीन के सस्ते साधन हैं।

उत्तर प्रदेश के किसानों को उत्तर प्रदेश कृषि उद्योग निगम द्वारा ट्रैक्टरों की सप्लाई किये जाने में अनियमितता

- 1540. श्री महाराज सिंह भारती : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
- (क) क्या अभी तक उन किसानों को ट्रैक्टर नहीं दिये गये हैं जिन्होंने 1968 में उत्तर प्रदेश के कृषि उद्योग निगम में ट्रैक्टर खरीदने के लिये अपने नाम पंजीकृत कराये थे; और
 - (ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री, अन्ना-साहेब शिन्दे): (क) तथा (ख). राज्य कृषि-उद्योग निगम ने सूचना दी है कि लगभग 4,590 आवे-दकों को, जिन्होंने 1968 में अपने नाम पंजीकृत कराये थे, काफी सप्लाई प्राप्त न होने के कारण